



!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक...136...../2017

दिनांक 22/09/2017

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाकय योजनांतर्गत आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि दण्ड ब्याज में छूट देने बाबत।


--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाकय योजना में हितग्राहियों से बकाया राशि वसूली में तीव्रता लाने एवं मण्डल की निधि तरलता सुधार करने हेतु एच.आई.जी./ एम.आई.जी./एल.आई.जी./ ई.डब्ल्यू.एस. भवनों/भूखण्डों के विरुद्ध बकायादारों को दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दिनांक 30.11.2017 तक दिये जाने हेतु मण्डल के संपदा अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव दिया गया है।

मण्डल के 54वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आदेश की प्रत्याशा में भाड़ाकय योजनांतर्गत आबंटित एच.आई.जी./एम.आई.जी./एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. भवनों/भूखण्डों के बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दिनांक 14.08.2017 से दिनांक 30.11.2017 तक अंतरिम आदेश क्रमांक 130/2017 दिनांक 08.09.2017 से दी गई है।

मण्डल के 54वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 के एजेण्डा क्रमांक 37 के पारित संकल्प क्रमांक 1587/37/54/08/2017 द्वारा संचालक मण्डल के प्रस्ताव पर दीर्घ विचारोपरांत सर्वसम्मति से श्री दीपक बत्रा, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रेजेन्टेशन में प्रस्तावित अनुसार दिनांक 30.11.2017 तक भाड़ाकय बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि जमा करने पर दण्ड ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लेते हुए आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आदेशानुसार



20.09.17
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

पृ.क्र. 2425 / आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-185-B/17 नया रायपुर, दिनांक / /2017

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, क्रमांक 01(I)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द्र/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


मुख्य संपदा अधिकारी 20.09.17
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर